(2)

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर पिड़ावा

क्रमांकः– राजस्व / प्रार्थना पत्र /26/ 2021 दायर दिनांक 03 /05/ 2021

उनवानः– रणवीर सिंह वगै0 बनाम राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार रायपुर

धारा 136 एल.आर.एक्ट

–: आदेश :– **दिनांक 03 /05 / 2021**

प्रार्थीगण रणवीरसिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत नि0 झालरापाटन वगै0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अनुसार ग्राम रायपुर पटवार मण्डल रायपुर तहसील रायपुर की आराजी खसरा नम्बर 2793 / 1932 रकबा 0.4426 हेक्टेयर का 1 / 2 हिस्सा खाते दर्ज है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार रायपुर से जांच रिपोर्ट ली गई जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा नंम्बर 2794 / 1932 पर रामप्रसाद पुत्र रामप्यारीबाई तैली नि0 रायपुर, ख.नं. 2793 / 1932 पर नन्दसिंह पिता मांगूसिंह राजपूत व रणवीरसिंह पिता नाराण्यासिंह राजपूत नि0 झालरापाटन हिस्सा 1 / 2, ख0न0 2792 / 1932 पर नीरजशर्मा पुत्र डालचन्द शर्मा ब्राहमण नि0 रायपुर, ख0न0 2791 / 1932 पर रामचन्द्र पुत्र रामप्यारी तैली नि0 रायपुर, ख0न0 1932 पर कैलाशचन्द पुत्र रामप्यारी तैली नि0 रायपुर, एवं ख.नं. 2790 / 1932 पर ओमप्रकाश व हरिनारायण पुत्र बैजनाथ कुल्मी नि0 दीवलखेडा का कब्जा काश्त व खाते दर्ज है। DILRMP योजना के तहत नक्शा शीट में तरमीम करते वक्त खातेदारान के सहवन से उत्तर से दक्षिण तरमीम की गयी जो गलत है। सही तरमीम पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा कर शुद्ध किया जाना आवश्यक है। इस बाबत तहसीलदार रायपुर द्वारा तरमीम शुद्ध करने की रिपोर्ट मय अनुशंषा की है।

अतः प्रार्थीगण के तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार रायपुर, पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक रायपुर की रिपोर्ट तथा रेकार्ड के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम रायपुर तहसील रायपुर जिला झालावाड़ की जमाबन्दी सम्वत् 2073–2076 के खसरा नं. 2794 / 1932, 2793 / 1932, 2792 / 1932, 2791 / 1932, 1932 व ख0न0 2790 / 1932 को नक्शा शीट में तरमीम पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा कर शुद्ध किये जाने की आज्ञा एदद द्वारा प्रदान की जाती है।

संलग्नः–तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा

(उम्मेद सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

क्रमांकः– राजस्व / 2021 / 449-50 दिनांक 03/05/ 2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ व पालनार्थ हेतु प्रेषित हैः–

1. तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु प्रेषित।
2. प्रार्थी श्री रणवीरसिंह पिता नारायण सिंह जाति राजपूत नि0 झालरापाटन वगै0 को सूचनार्थ।

(उम्मेद सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ummed Singh Rajawat
Date: 2021.06.01 11:51:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner